संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनाँकः 08 मई, 2013

विषयः अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15–12–2012, दिनांक 12–02–2013 एवं दिनांक 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तद्नुकम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तो के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तो को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तो को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

GO RP

(14) मूल अधिनियम–2009 एवं अधिनियम–2012 की धारा–1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

6.5.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
बेसिक शिक्षा अनुभाग–3,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक– शि0नि0(बे0)/सं0शि0नि0(बे0)/ 47327-28 **/2024–25 दिनांक** 23 **–12–2024**

विषयः– आई.जी.आर.एस. सं0–12157240221032 के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई.जी.आर.एस. सं0–12157240221032 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि निजी प्रबंधतंत्र से संचालित प्राइमरी एवं जू0हा0 के मान्तया के नवीनीकरण और स्थायी करण के संबंध में शिकायत विषयक है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मान्यता के शासनादेश सं0–418/79–6–2013–13 एस(7)/69 दिनांक 08 मई 2013 द्वारा प्रस्तर–13 के अनुसार–

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.05.2013 को मान्यता हेतु निर्गत नवीन शासनादेश दिनांक दिनांक 11 जनवरी 2019 द्वारा अवक्रमित करते हुए मान्यता के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है–

प्रस्तर–2(iv)– *"अस्थाई स्थाई मान्यता– निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता प्रथम तथा 1 वर्ष के लिए दी जाएगी 1 वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों और शर्तों का पुनः परीक्षण किया जाएगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलाते रहने पर 1 वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जाएगी।"*

उपर्युक्त प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालयों को अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। यह भी अवगत कराना है कि आर0टी0ई0 के पोर्टल पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग प्रत्येक वर्ष जुलाई–अगस्त माह से प्रारम्भ की जाती है, जिसमें यू0डायस से डाटा प्राप्त कर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग की जाती है।

अतः शासन से अनुरोध है कि प्रकरण को पुंजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

23/12/2024
(गणेश कुमार)
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0–शि0नि0(बे0)/सं0शि0नि0(बे0)/ 47327-28 **/2024–25 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

23/12/2024
(गणेश कुमार)
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।